रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-30072026-274995
CG-TL-E-30072026-274995

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 483]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 30, 2026/श्रावण 8, 1948	
No. 483]	NEW DELHI, THURSDAY, JULY 30, 2026/SHRAVAN 8, 1948	

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 30 जुलाई, 2026

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (तृतीय पक्ष प्रशासक - स्वास्थ्य सेवाएँ) (संशोधन) विनियम, 2026

फा.सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./आरईजी/ 12/226/2026.— बीमा अधिनियम, 1938 की धाराओं 42डी और 42ई के साथ पठित धारा 114ए की उप-धारा (2) के खंड (जेडडी) तथा आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 26 के साथ पठित धारा 14 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के उपरांत, प्राधिकरण इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभः**

    (i) ये विनियम आईआरडीएआई (तृतीय पक्ष प्रशासक – स्वास्थ्य सेवाएँ) (संशोधन) विनियम, 2026 कहलाएँगे।

    (ii) ये सरकारी राजपत्र में इनकी अधिसूचना की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उद्देश्य

(i) *सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा विधियों का संशोधन) अधिनियम, 2025* के उपबंधों के साथ आईआरडीएआई (तृतीय पक्ष प्रशासक – स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम, 2016 को सुयोजित करना।

(ii) सुसंगति सुनिश्चित करने के लिए परिणामी, स्पष्टीकरणकारी और अन्य आंतरिक लेखा-कार्य और व्यवस्था संबंधी संशोधन करना।

3. समूचे आईआरडीएआई (तृतीय पक्ष प्रशासक – स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम, 2016 (इन विनियमों में इसके बाद "प्रधान विनियम" के रूप में उल्लिखित) में, -

(i) शब्द "भारतीय चिकित्सा परिषद्" के लिए, शब्द "राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग" प्रतिस्थापित किये जाएँगे।

4. विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (ख) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा –

"सलाहकार समिति" से भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 25 के अधीन गठित बीमा सलाहकार समिति अभिप्रेत है;"

5. विनियम 6क को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा –

प्रत्येक आवेदक और टीपीए, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निगमित कंपनी होते हुए तथा अधिकांश विदेशी शेयरधारिता रखते हुए, सुनिश्चित करेगा कि उसके निदेशक बोर्ड का अध्यक्ष अथवा उसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रधान अधिकारी, अथवा प्रबंध निदेशक हर समय एक निवासी भारतीय नागरिक हो।

6. विनियम 7 में, उप-विनियम 6 के बाद निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा—

(7) वर्तमान टीपीए$_{\text{एस}}$ को पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण की प्रक्रियाः

(i) सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा विधियों का संशोधन) अधिनियम, 2025 के प्रचलित होने से पहले जारी किया गया तीन वर्ष की विधिमान्यता अवधि से युक्त पंजीकरण प्रमाणपत्र धारित करनेवाला तृतीय पक्ष प्रशासक (टीपीए) प्राधिकरण को उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किये जानेवाले फार्म और पद्धति में, विनियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट वार्षिक शुल्क का भुगतान करने के बाद वर्तमान पंजीकरण प्रमाणपत्र की समाप्ति से पहले नब्बे (90) दिन के अंदर, अधिनियम की धारा 42डी की उप-धारा 4 के अनुसार पंजीकरण के नवीकरण हेतु तथा पंजीकरण प्रमाणपत्र के निर्गम के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

बशर्ते कि जहाँ टीपीए ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर ऐसा आवेदन प्रस्तुत नहीं करता, वहाँ वह वर्तमान पंजीकरण प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से नब्बे (90) दिन के अंदर ऐसे विलंब के लिए कारणों सहित, अधिनियम की धारा 42डी की उप-धारा 4 के परंतुक के अधीन प्रयोज्य वार्षिक शुल्क और सात सौ पचास रुपये के अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करते हुए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

यह भी शर्त होगी कि जहाँ आवेदन वर्तमान पंजीकरण प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से नब्बे (90) दिन के अंदर प्रस्तुत नहीं किया जाता, वहाँ टीपीए से अपेक्षित होगा कि वह विनियम 7 के अनुसार पंजीकरण के लिए नये सिरे से आवेदन प्रस्तुत करे।

(ii) प्राधिकरण, इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदक यथासंशोधित प्रधान विनियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है, अपने द्वारा विनिर्दिष्ट किये जानेवाले फार्म में पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी कर सकता है।

बशर्ते कि इन विनियमों के अधीन जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वर्तमान पंजीकरण प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से प्रभावी होगा।

7. विनियम 9 में –

(i) उप-विनियम (2) में,--

क) “और अन्य कर” शब्दों के लिए, शब्द “और लागू कर” प्रतिस्थापित किये जाएँगे।

(ii) उप-विनियम (4) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगाः-

पंजीकरण प्रमाणपत्र की विधिमान्यताः इन विनियमों के अधीन प्राधिकरण द्वारा तृतीय पक्ष प्रशासक (टीपीए) को प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किये जानेवाले वार्षिक शुल्क के भुगतान के अधीन तब तक प्रचलन में होगा, जब तक इन विनियमों, प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया और समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42डी की उप-धारा (6) के अंतर्गत निर्धारित शर्तों के अनुसार इसे वापस नहीं लिया जाता, निलंबित नहीं किया जाता, निरस्त नहीं किया जाता, अथवा अन्यथा उसका प्रचलित होना समाप्त नहीं किया जाता।

(iii) उप-विनियम (5) में,--

क) “विधिमान्यता अवधि” शब्दों के लिए, शब्द “विधिमान्यता स्थिति” प्रतिस्थापित किये जाएँगे।

(iv) उप-विनियम (5) के बाद, उप-विनियम (6) के रूप में निम्नलिखित को निविष्ट किया जाएगा –

(6) वार्षिक शुल्कः

(i) विधिमान्य पंजीकरण प्रमाणपत्र धारित करनेवाला प्रत्येक तृतीय पक्ष प्रशासक (टीपीए) प्रत्येक वर्ष जनवरी के 31वें दिन को या उससे पहले आगामी वर्ष के लिए रु.50,000 (केवल पचास हजार रुपये) के वार्षिक शुल्क और प्रयोज्य करों का भुगतान करेगा, तथा प्रधान विनियमों और उनके अधीन जारी किये गये परिपत्रों/दिशानिर्देशों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सभी विनियामक विवरणियाँ प्रस्तुत करेगा।

बशर्ते कि जहाँ टीपीए जनवरी के 31वें दिन को या उससे पहले वार्षिक शुल्क का भुगतान नहीं करता, वहाँ वह उस वर्ष मार्च के 31वें दिन को या उससे पहले, देय वार्षिक शुल्क के दो प्रतिशत की दर से ब्याज सहित यह शुल्क विप्रेषित कर सकता है।

परंतु आगे यह भी शर्त होगी कि मार्च के 31वें दिन को या उससे पहले, लागू ब्याज के साथ वार्षिक शुल्क का भुगतान न करना पंजीकरण की शर्तों का उल्लंघन होगा तथा बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42डी की उप-धारा (6) के अनुसार ऐसा पंजीकरण प्रमाणपत्र निलंबित अथवा निरस्त किया जा सकता है।

(ii) जहाँ किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाता है, वहाँ उस वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक शुल्क पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने की तारीख से उस वित्तीय वर्ष के अंत तक परिकलित रूप में आनुपातिक आधार पर देय होगा तथा यह पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने की तारीख से पन्द्रह दिन के अंदर अदा किया जाएगा।

(iii) तृतीय पक्ष प्रशासक जिसका पंजीकरण प्रमाणपत्र निलंबन के अधीन है, वार्षिक शुल्क अदा करने के लिए लगातार जिम्मेदार होगा जब वह निलंबन की अवधि के दौरान देय हो।

बशर्ते कि जहाँ ऐसा निलंबन आगे चलकर पंजीकरण प्रमाणपत्र के निरसन में परिणत होता है, वहाँ निलंबन की अवधि के दौरान भुगतान किया गया वार्षिक शुल्क जब्त किया जाएगा और वह वापस करने योग्य नहीं होगा।

(iv) जब तृतीय पक्ष प्रशासक (टीपीए) विनियम 17 के अनुसार स्वैच्छिक रूप से पंजीकरण प्रमाणपत्र अभ्यर्पित करता है, तब पहले से ही अदा किया गया कोई भी वार्षिक शुल्क जब्त किया जाएगा और वह वापस करने योग्य नहीं होगा।

8. विनियम 12 के उप-विनियम (2) में —

(i) शब्द “सेवा कर” के लिए शब्द “कर” प्रतिस्थापित किये जाएँगे।

9. विनियम 15 छोड़ दिया जाएगा;

10. विनियम 16 के उप-विनियम (1) में, खंड (थ) के बाद निम्नलिखित को खंड (द) के रूप में निविष्ट किया जाएगा —

"टीपीए बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42डी की उप-धारा 6 के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार कोई उल्लंघन/चूक करता है" ।

11. विनियम 19 में, उप-विनियम 11 के बाद निम्नलिखित को निविष्ट किया जाएगा –

12. प्रत्येक टीपीए सुनिश्चित करेगा कि सभी संबंधित पक्षकार लेनदेन उपयुक्त करारों, बोर्ड और/या संबंधित समिति(यों) के आवश्यक अनुमोदनों तथा अन्य आवश्यक प्रलेखीकरण से समर्थित हों एवं समय-समय पर यथासंशोधित कंपनी अधिनियम, 2013, तथा अन्य प्रयोज्य विधियों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, और निदेशों के उपबंधों का अनुपालन करते हुए किये जाएँ।

(i) प्रत्येक टीपीए, प्राधिकरण को सभी संबंधित पक्षकार लेनदेनों का विवरण तिमाही आधार पर, तथा अपने लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण वार्षिक आधार पर प्रस्तुत करेगा। टीपीए ऐसे प्रकटीकरण अपनी वेबसाइट पर भी रखेगा।

12. विनियम 26 के उप-विनियम (3) के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा—

अस्थायी उपबंधः

(i) सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा विधियों का संशोधन) अधिनियम, 2025 के प्रारंभ होने के बाद, परंतु प्रचलित अस्थायी व्यवस्थाओं के अंतर्गत इन विनियमों के प्रारंभ होने से पहले किसी तृतीय पक्ष प्रशासक के संबंध में प्रदत्त अथवा नवीकृत कोई भी पंजीकरण प्रमाणपत्र इन विनियमों के अधीन जारी किये गये पंजीकरण प्रमाणपत्र के रूप में माना जाएगा तथा इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार विधिमान्य रूप में बना रहेगा।

(ii) आईआरडीएआई के समक्ष पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए लंबित किसी भी आवेदन का, अथवा इन विनियमों के प्रारंभ होने की तारीख की स्थिति के अनुसार वर्तमान पंजीकरण प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट विधिमान्यता अवधि के अनुसार नवीकरण के लिए नियत किसी भी आवेदन का प्रसंस्करण इन विनियमों के द्वारा यथासंशोधित प्रधान विनियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। ऐसे नवीकरण के अनुसरण में जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र इस प्रकार संशोधित किये गये प्रधान विनियमों के उपबंधों के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा और विधिमान्य रहेगा।

13. प्रधान विनियमों की अनुसूची-I में,-

(i) खंड 2 के बाद, निम्नलिखित 2ए को निविष्ट किया जाएगा,

2ए. विनियम 7(7): वर्तमान टीपीए$_{\text{एस}}$ को पंजीकरण प्रमाणपत्र के निर्गम के लिए आवेदन।

(ii) खंड 12, 13 और 14 छोड़ दिये जाएँगे।

14. प्रधान विनियमों की अनुसूची – एए, छोड़ दी जाएगी।

जी. आर. सूर्या कुमार, कार्यकारी निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./252/2026-27]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

Hyderabad, the 30th July, 2026

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA (THIRD PARTY ADMINISTRATORS - HEALTH SERVICES) (AMENDMENT) REGULATIONS 2026

F. No. IRDAI/Reg/12/226/2026.— In exercise of the powers conferred under clause (zd) of sub-section (2) of Section 114A read with sections 42D and 42E of the Insurance Act, 1938 and Section 14 read with Section 26 of the IRDA Act, 1999 and in consultation with the Insurance Advisory Committee, the Authority hereby makes the following Regulations, namely: -

1. **Short title and commencement:**

   (i) These Regulations may be called the IRDAI (Third Party Administrators - Health Services) (Amendment) Regulations, 2026

   (ii) It shall come into force from the date of its notification in the Official Gazette.

2. **Objective:**

   (i) To align the IRDAI (Third Party Administrators - Health Services) Regulations 2016, with the provisions of the *Sabka Bima Sabki Raksha (Insurance Laws) Amendment Act, 2025*.

   (ii) To carry out consequential, clarificatory, harmonising and other housekeeping amendments to ensure consistency.

3. **Throughout the IRDAI (Third Party Administrators-Health Services) Regulations, 2016, (hereinafter referred to as the "Principal Regulations") -**

   (i) for the words "Medical Council of India", the words "National Medical Commission" shall be substituted.

4. **Clause (b) of sub-regulation (1) of Regulation 2, shall be substituted with the following -**

   "Advisory Committee" means the Insurance Advisory Committee constituted under Section 25 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999;

5. **Regulation 6A shall be substituted with the following -**

Every Applicant and TPA, being a company incorporated under the Companies Act, 2013 and having majority foreign shareholding, shall ensure that either the Chairperson of its Board of Directors or its Chief Executive Officer, Principal Officer, or Managing Director is a resident Indian citizen at all times.

6. **In Regulation 7, the following shall be inserted after sub-regulation 6 -**

   (7) Procedure for renewal of Certificate of Registration to existing TPAs:

   (i) A Third Party Administrator (TPA) holding a Certificate of Registration issued prior to the coming into force of the Sabka Bima Sabki Raksha (Amendment of Insurance Laws) Act, 2025, with a validity period of three years, may apply to the Authority, in such form and manner as may be specified by it, for renewal of registration and issuance of a Certificate of Registration in accordance with sub-section 4 of section 42D of the Act, within ninety (90) days prior to the expiry of its existing Certificate of Registration upon payment of the annual fee specified under Regulation 9.

   Provided that where a TPA fails to submit such application within the period specified above, it may, within ninety (90) days from the date of expiry of the existing Certificate of Registration, submit the application along with the reasons for such delay, under the proviso to sub-section 4 of section 42D of the Act on payment of the applicable annual fee and an additional fee of seven hundred and fifty rupees.

   Provided also that where the application is not submitted within ninety (90) days from the date of expiry of the existing Certificate of Registration, the TPA shall be required to apply afresh for registration in accordance with Regulation 7.

   (ii) The Authority, upon being satisfied that the applicant complies with the requirements of the principal regulations, as amended, may issue a Certificate of Registration in such form as may be specified by it.

   Provided that the Certificate of Registration issued under these Regulations shall take effect from the date of expiry of the existing Certificate of Registration.

7. In Regulation 9 -

(i) In sub-regulation (2), -

a) for the words "and other taxes", the words "plus applicable taxes" shall be substituted

(ii) sub-regulation (4) shall be substituted with the following; -

Validity of Certificate of Registration**:** A Certificate of Registration granted by the Authority to a Third Party Administrator (TPA) under these Regulations shall remain in force, subject to payment of such annual fee as may be specified by Regulation 9(6), unless it is revoked, suspended, cancelled, or otherwise ceases to be in force in accordance with these Regulations, the procedure specified by the Authority, and the conditions stipulated under sub-section (6) of Section 42D of the Insurance Act, 1938, as amended from time to time.

(iii) In sub-regulation (5), -

a) for the words "validity period", the words "validity status" shall be substituted

(iv) After sub-regulation (5), the following shall be inserted as sub-regulation (6) -

(6) Annual fee:

(i) Every Third Party Administrator (TPA) holding a valid Certificate of Registration shall, on or before 31st day of January of each year, pay an annual fee of ₹50,000 (Rupees Fifty Thousand only), plus applicable taxes, for the ensuing financial year, and submit all regulatory returns specified under principal regulations and circular/guidelines issued thereunder.

Provided that where a TPA fails to pay the annual fee on or before the 31st day of January, it may remit the same on or before the 31st day of March of that year together with interest at the rate of two per cent of the annual fee payable.

Provided further that failure to pay the annual fee together with the applicable interest on or before the 31st day of March shall constitute a breach of the conditions of registration and such certificate of registration may be suspended or cancelled in accordance with sub-section (6) of section 42D of the Insurance Act, 1938.

(ii) Where a Certificate of Registration is granted during the course of a financial year, the annual fee for that financial year shall be payable on a pro-rata basis, calculated from the date of grant of the Certificate of Registration up to the end of that financial year, and shall be paid within fifteen days from the date of grant of such Certificate of Registration.

(iii) A Third Party Administrator whose Certificate of Registration is under suspension shall continue to be liable to pay the annual fee when it falls due during the period of suspension.

Provided that, where such suspension subsequently results in cancellation of the Certificate of Registration, any annual fee paid during the period of suspension shall stand forfeited and shall not be refundable.

(iv) Where a Third Party Administrator voluntarily surrenders its Certificate of Registration in accordance with Regulation 17, any annual fee already paid shall stand forfeited and shall not be refundable.

8. In sub-regulation (2) of Regulation 12-

(i) for the words "service tax", the word "taxes" shall be substituted.

9. Regulation 15 shall be omitted;

10. In sub-regulation (1) of Regulation 16, the following shall be inserted after clause (q) as clause (r) -

"The TPA commits any contravention/default as provided under sub-section 6 of section 42D of the Insurance Act, 1938".

11. In Regulation 19, the following shall be inserted after sub-regulation 11 -

12. Every TPA shall ensure that all related party transactions are supported by appropriate agreements, requisite approvals of the Board and/or relevant committee(s), and other necessary documentation, and are undertaken in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, and other applicable laws, rules, regulations, guidelines, and directions, as amended from time to time.

(i) Every TPA shall furnish to the Authority, on a quarterly basis, details of all related party transactions and, on an annual basis its audited financial statements. The TPA shall also place such disclosures on its website.

12. For sub-regulation (3) of Regulation 26, the following shall be substituted-

Transitory Provisions:

(i) Any Certificate of Registration granted or renewed in respect of a Third Party Administrator after the commencement of the Sabka Bima Sabki Raksha (Amendment of Insurance Laws) Act, 2025, but before the commencement of these Regulations under the transitional arrangements in force, shall be deemed to be a Certificate of Registration issued under these Regulations and shall continue to remain valid in accordance with the provisions of these Regulations.

(ii) Any application for renewal of a Certificate of Registration pending before the IRDAI, or falling due for renewal in accordance with the validity period specified in the existing Certificate of Registration as on the date of commencement of these Regulations, shall be processed in accordance with the provisions of the Principal Regulations as amended by these Regulations. The Certificate of Registration issued pursuant to such renewal shall be governed by and remain valid in accordance with the provisions of the Principal Regulations as so amended.

13. In Schedule - I of Principal Regulations, -

(i) after clause 2, the following shall be inserted as 2A,

2A. Regulation 7 (7): Application for issuance of Certificate of Registration to existing TPAs.

(ii) clauses 12, 13 & 14 shall be omitted.

14. The Schedule - AA of Principal Regulations, shall be omitted.

G. R. SURYA KUMAR, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./252/2026-27]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA